न्यायालय न्याय निर्णयन अधि[redacted]तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
19 / 2020 प्रा.पत्र / 2020	16.03.2020	07.08.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री वाहिद अली पुत्र श्री निसार अली निवासी पोस्ट ऑफिस रोड इन्द्रा कॉलोनी टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स राजू टी एण्ड ज्यूस सेन्टर पोस्ट ऑफिस के पास सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001

2–मैसर्स राजू टी एण्ड ज्यूस सेन्टर पोस्ट ऑफिस के पास सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001

3–श्री चन्द्र शेखर शर्मा डायरेक्टर मैसर्स बावलिया बाबाजी डेयरी फूड्स प्रा. लि. एमएफ–03, वैभव मल्टीप्लेक्स, वैशाली नगर, जयपुर राज.। पिनकोड–302021

4–श्री विक्रम सिंह डायरेक्टर मैसर्स बावलिया बाबाजी डेयरी फूड्स प्रा. लि. एमएफ–03, वैभव मल्टीप्लेक्स, वैशाली नगर, जयपुर राज.। पिनकोड–302021

5–मैसर्स बावलिया बाबाजी डेयरी फूड्स प्रा. लि. एमएफ–03, वैभव मल्टीप्लेक्स, वैशाली नगर, जयपुर राज.। पिनकोड–302021

6–श्री विजेन्द्र पाराशर पुत्र श्री के.पी. पाराशर निवासी एच–17 एफ, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर नॉमिनी मैसर्स श्री वर्धमान मिल्क डेयरी प्रा. लि. ई 42 ई, रीको एरिया, कालाडेरा जयपुर राज.। पिनकोड–303801

7–मैसर्स श्री वर्धमान मिल्क डेयरी प्रा. लि. ई 42 ई, रीको एरिया, कालाडेरा जयपुर राज.।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 07/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.07.2019 को समय 03:58 पी.एम. पर मैसर्स राजू टी एण्ड ज्यूस सेन्टर पोस्ट ऑफिस के पास सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री वाहिद अली पुत्र श्री निसार अली अपने प्रतिष्ठान मैसर्स राजू टी एण्ड ज्यूस सेन्टर पोस्ट ऑफिस के पास सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री वाहिद अली पुत्र श्री निसार अली को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री वाहिद अली पुत्र श्री निसार अली ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में ज्यूस, आईसक्रीम, स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर, दूध, दही के साथ–साथ दुकान में फ्रीजर में लगभग 24 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 180–180 ग्राम पैक **दही (रियली प्योर टोन्ड मिल्क बेस्ड)** आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री वाहिद अली पुत्र श्री निसार अली को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री वाहिद अली पुत्र श्री निसार अली व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि यह **दही (रियली प्योर टोन्ड मिल्क बेस्ड)** जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक 21 जुलाई 2019 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 180–180 ग्राम पैक के 5 मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **दही (रियली प्योर टोन्ड मिल्क बेस्ड)** 800 ग्राम को हिला मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर–बराबर (प्रत्येक शीशी में 200–200 ग्राम) भरकर, प्रत्येक शीशी में बतौर परिरक्षित फार्मेलिन की 16–16 बूंदें डालकर, प्रत्येक शीशी के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियामनुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2247 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2247 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री वाहिद अली पुत्र श्री निसार अली एफ.बी.ओ. मैसर्स राजू टी एण्ड ज्यूस सेन्टर पोस्ट ऑफिस के पास सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मैसर्स बावलिया बाबाजी डेयरी फूड्स प्रा. लि. एमएफ–03, वैभव मल्टीप्लेक्स, वैशाली नगर, जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत किया एवं मैसर्स बावलिया बाबाजी डेयरी फूड्स प्रा. लि. ने मैसर्स श्री वर्धमान मिल्क डेयरी प्रा. लि. ई 42 ई, रीको एरिया, कालाडेरा जयपुर का वारन्टी बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/19/2379 दिनांक 01.10.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1701/एक्ट/2019/1233 दिनांक 05.08.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गय **दही (रियली प्योर टोन्ड मिल्क बेस्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में मैसर्स श्री वर्धमान मिल्क डेयरी प्रा. लि. के व्यवहारी ने पुनः नमूना जांच रिपोर्ट हेतु अपील दायर की जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब पुणे में जांच हेतु रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भिजवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/19/2653 दिनांक 16.12.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल फूड लैब पुणे से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं. एफटी/एक्यूसीएल/आरएफएल/डीओ/573/19/1263/2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **दही (रियली प्योर टोन्ड मिल्क बेस्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **दही (रियली प्योर टोन्ड मिल्क बेस्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व प्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **दही (रियली प्योर टोन्ड**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिल्क बेस्ड) का नमूना जांच में अवमानक **(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 5 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया था अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 5 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 6 व 7 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 6 व 7 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सोकरिया)
न्यायिक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक